2025/396

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 35/2025 (राजसमन्द आर्डर)

1. मु. भोली बाई पत्नी स्व. परसा जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
2. बाबू लाल कुमावत पिता परसराम जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल कुमावत पिता वरदा जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
2. पोखर लाल पिता वेणा जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
3. बंशीलाल पिता वेणा जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
4. भागीरथ पिता वेणा जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा जिला तहसील आमेट राजसमन्द (राज.)
5. हजारी पुत्र वेणा जाति कुमावत निवासी सेलागुड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी आमेट
दिनांक 28.08.2025 प्र.सं. 7/2024

———::———

उपस्थित :– 1– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलार्थी

2– श्री जी.एल. पुरोहित अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

———::———

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय **दिनांक 28–01–2026**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 412 पुराना 368 के आराजी नम्बर 1692 कुल किता 01 रकबा 0.3000 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 250 पुराना 231 के आराजी नम्बर 1693 कुल किता 01 रकबा 0.2900 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी, आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि पर प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 1692 एवं 1693 के आगे विपक्षी संख्या 01, 02, 03 की आराजी संख्या 1690 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1691 रकबा 0.2300 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1710 रकबा 0.4700 हैक्टेयर स्थित है, तत्पश्चात् आराजी नम्बर 1681 किस्म आम रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए आम रास्ता आराजी नम्बर 1681 से होकर विपक्षी संख्या 01, 02, 03 के आराजी नम्बर 1690, 1691, 1710 में बने रास्ते से होते हुए प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1692 रकबा 0.3000 एवं आराजी नम्बर 1693 रकबा 0.2900 हैक्टेयर में प्रवेश करते है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि विपक्षी संख्या 01, 02, 03 के पूर्वाधिकारियों से ही खरीद की है। विपक्षीगण की आराजीयात के सटमा आम रास्ता स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1681 है। प्रार्थी की कृषि आराजीयात पर पहुंचने के लिए कोई रास्ता मौके पर दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1692, 1693 पर पहुंचने के लिए रास्ता चाहते है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात पर पहुंचने का यही एक मात्र रास्ता होकर कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग स्थित नहीं है। रास्ते की अनुपलब्धता के कारण प्रार्थीगण की भूमियां उजड पडी हुई है, प्रार्थीगण की आराजीयात तक पहुंचने के लिए रास्ता नही होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर हल, बैंल नही ले जा पा रहे है, जिससे प्रार्थीगण की कृषि भूमियां अनुपयोगी पडी हुई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी नम्बर 1692 रकबा 0.3000 [illegible] नम्बर 1693 रकबा 0.2900 पर आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1690, 1691 एवं 1710 में से प्रार्थीगण [illegible] आने जाने हेतु 30 फीट चौडाई व पूरी लम्बाई में रास्ते को कायम [illegible]माते हुए नियमानुसार डी.एल.सी. दर की राशि जमा करवाने का आदेश प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: Self Attested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

करवा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे में पैमुद का आदेश प्रदान करावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील आमेट से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 28.08.2025 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 2 ने यह अपील दिनांक 15.09.2025 इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कथित निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 1692 व 1693 में आने जाने हेतु सबसे निकटतम रास्ता जॉच रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1708 आम रास्ता के मुहाने पर आराजी नम्बर 1709 स्थित है, जिसके सटमा आराजी नम्बर 1692 व 1694 है। आराजी नम्बर 1709 में से सबसे निकटतम रास्ता होने से दिया जा सकता है, परन्तु बिलानाम सरकारी जमीन 1681 व अपीलान्ट की आराजी नम्बर 1690 व 1691 तथा आराजी नम्बर 1720 के बीच में से रास्ता देने से मामला और पेंचीदा हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट पर आये तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया हैं। आराजी नम्बर 1681 बिलानाम रास्ता है, जिसका मुआवजा न तो तय किया गया, न ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन किया गया, जबकि बिलानाम रास्ता शमशान भूमि से होकर जाता है और वहां पर पानी की आवाजाही है, जिससे कृषि उपकरण लाने ले जाने में बारी कठिनाई उत्पन्न होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त की जावे।

5. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 के विद्वान अभिभाषक ने कहा कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त को देखा। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न मौका रिपोर्ट एवं उसके साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण की खाते की आराजी नम्बर 1692 व 1693 में आने जाने हेतु न्यूनतम रास्ता आम रास्ता 1681 से होते हुए अपीलान्ट की आराजी नम्बर 1690, 1691 व 1710 में से होना प्रकट होता है। अपीलान्ट ने आराजी नम्बर 1708 व 1709 से रास्ता दिये जाने का कथन किया है, किन्तु प्रस्तुत नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त रास्ते की दूरी अधिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट व नक्शा अनुसार न्यूनतम रास्ता आराजी नमबर 1690, 1691 व 1710 में से दिया गया है, जो मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते है।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.08.2025 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो एक नम्बर से कम की जावे।

28.1.26.

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.02.10 14:48:36 IST
Reason: SelfAttested